परिशिष्ट - 1

(72)

भिलाई स्टील प्लांट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जिला-कांकेर एवं नारायणपुर में प्रस्तावित रावघाट माइनिंग प्रोजेक्ट 14 मिलियन टन/वर्ष लौह अयस्क (आर.ओ.एम.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नारायणपुर जिला में लोक सुनवाई दिनांक 25-06-2007 (स्थानः- कलेक्ट्रेट सभाकक्ष नारायणपुर, जिला-नारायणपुर छ.ग.) का कार्यवाही विवरण :-

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हाल ही में पूर्व में लागू इन्व्हारमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेंट नोटिफिकेश्न, 1994 को अधिक्रमित कर एस.ओ. 1533 (ई.), दिनांक 14-09-2006 के द्वारा इन्व्हारमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, 2006 लागू कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 14-09-2006 से प्रभावशील है। उद्योगों एवं प्रोजेक्ट्स के लिए भारत का राजपत्र 14 सितम्बर 2006 के बिन्दु क्रमांक-4.0 अनुसार लोक सुनवाई पेनल की संरचना की गई।

भिलाई स्टील प्लांट, स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जिला-कांकेर एवं नारायणपुर में प्रस्तावित रावघाट माइनिंग प्रोजेक्ट 14 मिलियन टन/वर्ष लौह अयस्क (आर.ओ.एम.) हेतु ई.आई.ए. नोटिफिकेशन में वर्णित उद्योगों की सूची में सम्मिलित है। अतः इस परियोजना के लिए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नारायणपुर जिले के लिए लोक सुनवाई आज दिनांक 25-06-2007 को प्रातः 11.00 बजे स्थानः- कलेक्ट्रेट सभाकक्ष नारायणपुर जिला-नारायणपुर, (छ.ग.) में निर्धारित की गई ।

इस लोक सुनवाई की सूचना नियमानुसार एक माह पूर्व स्थानीय समाचार पत्रों एवं नेशनल समाचार पत्र में प्रकाशित कराई गई तथा संबंधित व्यक्तियों तक पहुंच बाबत् ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट तथा समरी ई.आई.ए. रिपोर्ट (हिन्दी एवं अंग्रेजी) की साफ्ट (सी.डी.) प्रति एवं हार्ड प्रति जिलाध्यक्ष कार्यालय जिला-नारायणपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जगदलपुर, नगर पंचायत नारायणपुर, महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जगदलपुर, सरपंच, ग्राम पंचायत खड़कागांव, सरपंच, ग्राम पंचायत बिजली, सरपंच, ग्राम पंचायत सुलेंगा (खोड़गांव), सरपंच, ग्राम पंचायत कंदाड़ी, (कुरूषनार), जिला-नारायणपुर, डायरेक्टर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय कार्यालय प्र्यावरण एवं वन मंत्रालय केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड नं.-3 रविशंकर नगर भोपाल (म.प्र.), सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, सिविल लाईन्स रायपुर को प्रेषित की गई तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, एच.आई.जी. 5 एवं 6 अघनपुर हाउसिंग बोर्ड कालोनी धरमपुरा जगदलपुर में भी अवलोकन हेतु रखा गया ।

लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए भिलाई स्टील प्लांट, स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा परियाजना की विस्तृत रूप रेखा प्रस्तुत की गई ।

लोक सुनवाई के सन्दर्भ में प्राप्त आपत्तियां / सुझाव :–

(1) श्रीमती शांति सलाम उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सभापति शिक्षा समिति जिला पंचायत बस्तर के द्वारा दिनांक 19–06–2007 को लिखित आपत्ति दर्ज की गई है जिसमें उनके द्वारा प्रस्तावित माईन्स को स्थानीय लोगों विशेषकर आदिवासियों को खदान सौंपने के लिए प्रस्ताव दिया है। ताकि स्थानीय लोग विशेषकर आदिवासी विकास कर सकें ना कि उनका अधिकार छीनकर दूसरों को दिया जाए। उपरोक्त के अलावा 1 से लेकर 9 तक बिन्दुवार आपत्ति दर्ज की गई ।

लोक सुनवाई में उपस्थित माननीय श्री एम.एस. परस्ते, कलेक्टर, नारायणपुर द्वारा अपने उद्‌बोधन में कहा गया कि – हम आप सभी उपस्थित प्रबुद्धजन का स्वागत करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि रावघाट माइन्स इस जिले में आ रही है। इस नये जिले में नया रोजगार उपलब्ध होगा, स्कूल शिक्षा का विकास होगा। यहां के जो मजदूर बाहर जा रहे हैं उन्हें यहीं पर रोजगार मिलने से बाहर नहीं जायेंगे। रावघाट खुलने से यहां आर्थिक, सामाजिक और अन्य पर भी अच्छा प्रभाव होगा, आवागमन के साधन बढ़ेंगे। बाहर के कुछ लोग आयेंगे तो यहां के लोग से आपस में मिलाप होगा। यहां जब पापुलेशन बढ़ेगा तो यहीं पर कमा कर अपना आर्थिक विकास करेंगे। इस माइन्स से पर्यावरण पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई.टी.आई. खुलने से यहां के बच्चों को ट्रेनिंग दी जायेगी। बी. एस.पी. के द्वारा ही एक सुन्दर नगर बसाया जायेगा। मैं समझता हूं कि यहां के सरपंच, जन प्रतिनिधि, आम जनता को भी कोई आपत्ति नहीं होगी।

(2) श्री बृजमोहन देवांगन, नारायणपुर – वेट प्रोसेसिंग, दल्ली राजहरा में क्यों, नारायणपुर में क्यों नहीं होगी ? इससे उद्‌योग प्रबन्धन को क्या परेशानी है ?

(3) श्री शीतल प्रकाश, नारायणपुर – रेल्वे का प्रथम चरण ही क्यों नहीं नारायणपुर तक लाया जा रहा है ? मेरा यह कहना है कि नारायणपुर में ही टाउनशिप का प्रावधान करें। टाउनशिप नारायणपुर जिले में होना चाहिए ।

(4) श्रीमती शांति सलाम, जगदलपुर – जैसा कि रावघाट माइन्स का जो एरिया दिया गया है, वह नारायणपुर जिले का एरिया है। हमारे नारायणपुर के ग्रामवासियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है उनका भी सम्मान किया जाये । मैं सभी जिलावासियों की तरफ से कहना चाहूंगी जो भी कार्य आबंटित किया जाये, स्थानीय लोगों को दिया जाय तथा जो टाउनशिप बनना है वह मेन मुख्यालय नारायणपुर में होना चाहिए ।

74

(5) श्री जागेश्वर सिंह ठाकुर, नारायणपुर – पहला कि रावघाट का जो खनन क्षेत्र है वह कितने किलोमीटर में होगा ? वर्तमान में कार्य शुरू होने जा रहा है तो कब शुरू होगा ? स्थानीय लोगों को ही काम मिले। हमारे नारायणपुर के कितने एरिये में उत्खनन होगा ?

(6) श्री पंकज यादव, नारायणपुर – 2028 हेक्टेयर में से कितना नारायणपुर में कितना अंतागढ़ में किया जायेगा, कितने में नारायणपुर एरिये में खनन करेंगे ? रावघाट परियोजना चालू होने से जो अशिक्षित लोग या बच्चे होंगे उन्हें शिक्षित करने हेतु स्कूल या संस्था बनाया जाए ।

(7) श्री शिवकुमार पाण्डे, नारायणपुर – भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा रावघाट माइन्स के लिए हम सभी स्वागत करते हैं। श्रीमान् जी यदि भिलाई इस्पात को यहां से लौह मिलेगा तो इस क्षेत्र की जनता को क्या मिलेगा ? बहुत दिनों से आस लगाकर इस क्षेत्र की जनता ने पूजा कर रखा था कि यह परियोजना आये। आज बी.एस.पी. को लौह की जरूरत पड़ी तो इस माइन्स पर पहल किया जा रहा है। वरना 1980 से यह परियोजना लंबित है। हमारे क्षेत्र में न कोई कुशल मजदूर है न ही कुशल परिवार हैं। बी.एस.पी. रोजगार के लिए क्या करेगा ? यह पांचवीं अनुसूची क्षेत्र है। यहां के स्थानीय बेरोजगारों को बी.एस.पी. कितने रोजगार उपलब्ध करायेगा। अगर बी.एस.पी. चाहे तो आज ही यहां एक प्रशिक्षण संस्थान खोल सकती है इससे माइन्स आने तक यहां के बेरोजगार प्रशिक्षित हो जायेंगे तथा माइन्स में कार्य हेतु उपलब्ध होंगे। हमारा मानना है कि रावघाट माइन्स आने से यहां पर कई प्रकार के रोजगार उपलब्ध होंगे जिसका मैं स्वागत करता हूं। हमने जो मांग रखी है वह हमारे आदिवासी भाईयों का हक है। अगर टाउनशिप बनती है तो नारायणपुर के समीप ही बने। बी.एस. पी. के द्वारा जो संचालित अस्पताल है उसमें केवल बी.एस.पी. के कर्मचारियों/अधिकारियों के ही परिवार के होते हैं। मेरी गुजारिश है कि बी.एस.पी. अस्पताल में बी.एस.पी. कर्मचारियों के अलावा स्थानीय लोगों का भी निःशुल्क उपचार किया जाये । बी.एस.पी. स्कूल में भी स्थानीय लोगों के बच्चों को भी समतुल्य लिया जाय ।

(8) श्री युगल देवांगन, नारायणपुर – माई दन्तेश्वरी एवं रामदेव बाबा कामाख्य मंदिर बनाया जावे, तथा रावघाट माइन्स के आने का स्वागत करते हैं ।

(9) श्री पी.एस. पट्टावी – खनन करते समय वनोपज का नुकसान न हो, यहां पर सभी जाति, धर्म के लोग हैं। उनके देवी–देवताओं का सम्मान करना चाहिए। परियोजना लगने का हम स्वागत करते हैं तथा हमारे समाज का भी ध्यान दिया जाये। मैं गोड़वाना समाज से हूँ ।

(7)

(10) श्री रजनू नेताम, जनपद अध्यक्ष, नारायणपुर – पूर्व में बी.एस.पी. द्वारा यह दिखाया जा रहा था कि जल/वायु प्रदूषण से कोई भी एरिया प्रभावित नहीं होगी। जहां तक मेरा अनुमान है कि कुछ–न–कुछ कृषक प्रभावित होंगे। जो प्रभावित होंगे, उन्हें मुआवजा दिया जाये। नारायणपुर में ही टाउनशिप होना चाहिए। मेरी राय है कि टाउनशिप बनाने के बैठक में नारायणपुर का पहला स्थान होना चाहिए। इस क्षेत्र के जितने भी प्रतिभावान छात्र–छात्रायें हैं उन्हें बी.एस.पी. स्कूल में प्रवेश दिया जाये। परियोजना के आने से कई रोजगार जैसे कुशल/अकुशल स्थानीय को ही मिले ।

(11) रामलाल उसेंडी, नारायणपुर – रावघाट माइन्स आने का मैं स्वागत करता हूं। इसके द्वारा कई विकास कार्य होंगे, जिनका मैं स्वागत करता हूं। यहां पर जितने भी आरक्षित लोग हैं उन्हें ही रोजगार मिलना चाहिए। वन क्षेत्र भी संरक्षित रहें। रामदेव बाबा के मंदिर को सुरक्षित रखते हुए खनन किया जाये। विशेष तौर पर यहां की संस्कृति का ध्यान रखा जाए। यहां के 100% आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं। रावघाट माइन्स आने का स्वागत है ।

(12) श्री महेश प्रसाद पाठक, नवभारत समाचार–पत्र – नारायणपुर क्षेत्र के साथ--साथ अबूझमाड़ क्षेत्र का भी विकास किया जाये। अगर बी.एस.पी. द्वारा अबूझमाड़ का विकास किया जायेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि यह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ।

(13) श्री पुगूराम दुग्गा, पालकी, नारायणपुर– पहले हम आदिवासियों का विकास किया जाये इसके बाद हमारे यहां से लोहा ले जायें ।

(14) मोहम्मद हुसैन, नारायणपुर – माइन्स के आने से बहुमूल्य वन औषधि पौधे नष्ट हो जायेंगे। मेरा यह कहना है कि वन औषधी पौधों की बी.एस.पी. द्वारा खेती कराई जाये। जल प्रदूषण का भी विशेष ध्यान दिया जाये ।

(15) श्री प्रमोद पोटाई, नारायणपुर – रावघाट योजना के अन्तर्गत जितने भी प्रभावित कृषक हैं। उन्हें बिजली, पानी अच्छी शिक्षा आदि दिया जाये ।

(16) श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल – बी.एस.पी. द्वारा माइन्स करने पर रेल लाइन से ही दिया जाये तथा प्रथम चरण में ही नारायणपुर तक रेल लाइन लाई जाये। रावघाट माइन्स एरिया का फिर से सीमांकन कराया जाये ।

(17) श्री सोमारू राम दुग्गा, सरपंच, खड़कागांव – जहां पर खुदाई होगी वहां का पानी हमारे खेत में आयेगा तो क्या व्यवस्था किया जायेगा ?

76

उपरोक्त के अतिरिक्त लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों श्री ब्रजमोहन देवांगन, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, नारायणपुर, श्री शीतल प्रकाश, श्री महेश प्रसाद पाठक, मोहम्मद हुसैन, श्री पी. एस. पट्टावी, अजय देशमुख, श्री संदीप झा, विधायक प्रतिनिधि नारायणपुर एवं संवाददाता हरिभूमि समाचार–पत्र, उत्तम चंद जैन, चैनल इंडिया संवाददाता, नारायणपुर, हरीश ठाकुर, अध्यक्ष, ब्लाक कांग्रेस कमेटी, नारायणपुर, श्री बद्रीनाथ बघेल, पूर्व विधायक विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर, संतोष राव, अध्यक्ष, युवा कांग्रेस, नारायणपुर, श्री पंकज यादव, युवा कांग्रेस संरक्षक, नारायणपुर एवं बुन्देलराम नाग, मोड़ाराम आदि प्रार्थी पूसागांव, केरलापाल, पालकी, खड़कागांव, खोड़गांव, खैराभाट, परलभाट आदि उपरोक्त सभी के द्वारा स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने, आदिवासियों को प्राथमिकता देने, स्कूल, अस्पताल आदि की सुविधा प्रदान करने, अस्पताल में आदिवासियों का निःशुल्क उपचार करने, बोरवेल खुदाई करने, स्थानीय देवी–देवताओं का ध्यान रखने की मांग की गई।

लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त सभी आपत्तियों एवं प्रश्नों का उद्योग प्रबन्धन द्वारा समाधान कारक उत्तर दिया गया तथा ग्रामवासियों की भावना के अनुरूप कार्य करने का आश्वासन दिया गया ।

अंत में लोक सुनवाई पेनल ने मत व्यक्त किया कि सभी प्राप्त आपत्ति/सुझाव एवं ग्रामवासियों की मांगों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जावे तथा परियोजना प्रबन्धन द्वारा ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जाये जिससे कि परियोजना से किसी भी तरह का जल/वायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित न हो। इन्हीं शर्तों पर ग्रामवासियों ने रावघाट प्रोजेक्ट लगाने हेतु स्वीकृति दी है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाये।

(1) कलेक्टर जिला – नारायणपुर

25/6/07

(2) क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल जगदलपुर।

25/6/07

संलग्नक-2

(77)

भिलाई स्टील प्लांट, स्टील अर्थारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जिला–कांकेर एवं नारायणपुर में प्रस्तावित रावघाट माइनिंग प्रोजेक्ट 14 मिलियन टन/वर्ष लौह अयस्क (आर.ओ.एम.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई में पेनल मेम्बरों की उपस्थिति पंजी।

स्थानः– कलेक्ट्रेट सभाकक्ष नारायणपुर जिला–नारायणपुर (छ.ग.) दिनांक 25.06.2007

क्रमांक	नाम एवं पता	हस्ताक्षर
1.	कलेक्टर नारायणपुर जिला – नारायणपुर (छ.ग.)	[signature] 25/6/07
2.	क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल जगदलपुर (छ.ग.)	[signature] 25/6/07